रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-24082020-221322
CG-DL-W-24082020-221322

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 25] नई दिल्ली, अगस्त 16—अगस्त 22, 2020, शनिवार /श्रावण 25 —श्रावण 31, 1942
No. 25] NEW DELHI, AUGUST 16—AUGUST 22, 2020, SATURDAY/SRAVANA 25—SRAVANA 31, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 18 अगस्त,2020

सा.का.नि. 112.— राष्ट्रपति, संविधान की धारा 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड, वरिष्ठ निजी सचिव (समूह 'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय पद), भर्ती नियम, 2015 को, उन बातों के सिवाए, जिन्हें ऐसे अधिक्रांत करते हुए अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने

का लोप किया गया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के अधीन आयुक्तालयों और निदेशालयों में वरिष्ठ निजी सचिव के पद की पद्धति को नियमित करने के लिए निम्न नियम बनाए हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, वरिष्ठ निजी सचिव, (समूह 'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय पद) भर्त्ती नियम, 2020 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद संख्या, उसका वर्गीकरण व इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में भी निर्दिष्ट किए गए होंगे।

3. विशेष उपबंध.—(1) प्रत्येक आयुक्तालय और निदेशालय का अपना एक अलग संवर्ग होगा, जब तक कि इस आधार पर उसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सी बी आई सी) द्वारा विशिष्टतया विहित न किया गया हो। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित, निम्नलिखित निदेशालयों के संबंध में उक्त पद के लिए संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी - निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, दिल्ली होगा-

(i) निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय

(ii) राजस्व आसूचना महानिदेशालय

(iii) माल और सेवा कर आसूचना महानिदेशालय

(iv) रसद निदेशालय

(v) करदाता सेवा महानिदेशालय

(vi) प्रणाली और आंकड़ा प्रबंधन महानिदेशालय

(vii) केंद्रीय राजस्व नियंत्रक प्रयोगशाला

(viii) सतर्कता महानिदेशालय

(ix) एन्टी प्रोफीटियरिंग महानिदेशालय

(x) निर्यात संवर्धन महानिदेशालय

(xi) लेखा परीक्षा महानिदेशालय

(xii) विधिकार्य निदेशालय

(xiii) मानव संसाधन विकास महानिदेशालय

(xiv) मुख्य आयुक्त (प्राधिकृत प्रतिनिधि), सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीइएसटीएटी)

(xv) विश्लेषिकी और जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय

(xvi) मूल्यांकन महानिदेशालय

(xvii) अंतर्राष्ट्रीय सीमाशुल्क निदेशालय

(xviii) माल और सेवा कर महानिदेशालय

(2) समूह 'ख' और समूह 'ग' ग्रेड में विलय किए गए निदेशालय के पदों की परस्पर वरिष्ठता को, इस संदर्भ में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या दिशा-निर्देशों के अनुसार एकीकृत किया जाएगा।

4. भर्त्ती, आयु-सीमा, योग्यता संबंधी शर्तें आदि.—भर्ती, आयु-सीमा, योग्यता संबंधी शर्तें और अन्य विषयों के संदर्भ में पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) तक में निर्दिष्ट किया गया है।

5. निरर्हता.— वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ;या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हैं, या विवाह की संविदा की हैं

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता हैं कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय हैं और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वरिष्ठ निजी सचिव	152*(2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100 रुपए)	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं

क्या पदोन्नति पाए व्यक्ति के संबंध में, सीधी भर्ती के लिए निर्दिष्ट आयु तथा शैक्षिक अहर्ताएं लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के प्रतिशत द्वारा	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती के मामले, में वह ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा व इसकी अनुपस्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा	**पदोन्नति:** स्तर-7 में वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रुपए) में ग्रेड में 2 वर्ष की नियमित सेवा में निजी सचिव। **टिप्पण 1:** जिन कनिष्ठ व्यक्तियों ने अपनी अहर्ता

			सम्बन्धी अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, और उन्हें पदोन्नति प्रदान करने के लिए विचार किया जा रहा है, तब उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अहर्ता सम्बन्धी अथवा पात्रता सम्बन्धी ऐसी अहर्ता वाली अथवा पात्रता वाली सेवा के आधे से अधिक तक अथवा 2 वर्ष व जो भी कम हो, तथा उन्होंने सफलतापूर्वक अगले उच्च ग्रेड में उनके उन कनिष्ठों के साथ पदोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो जिन्होंने पहले ही ऐसी अहर्ता सेवा तथा पात्रता सेवा पूरी कर ली है। **प्रतिनियुक्ति:** केंद्रीय सरकार के आशुलिपिक के पद पर आसीन वे अधिकारी जो (क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारक; अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन-मैट्रिक्स (44900-142400 रुपए) में स्तर-7 में नियमित आधार पर उसमें नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा के साथ अथवा समतुल्य। **टिप्पण 1:** फीडर श्रेणी में विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति वालों को भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। **टिप्पण 2:** इस प्रतिनियुक्ति की अवधि ,इस नियुक्ति के तत्काल पूर्व केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में धारित किसी बाह्य संवर्ग में प्रतिनियुक्ति की अवधि समेत सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन की प्राप्ति के समाप्त होने की तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो इसकी संरचना क्या है	परिस्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती करने में परामर्श किया जाना है।
(12)	(13)
1. संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण के प्रधान मुख्य आयुक्त अथवा मुख्य आयुक्त अथवा प्रधान महानिदेशक अथवा कार्य निष्पादन प्रबंधन के महानिदेशक, डीजीपीएम – अध्यक्ष; 2. प्रधान आयुक्त अथवा आयुक्त या प्रधान अपर महानिदेशक या अपर महानिदेशक, डीजीएचआरडी - सदस्य ; 3. अपर अथवा संयुक्त आयुक्त (कार्मिक और सतर्कता) या अपर अथवा संयुक्त निदेशक, डीजीपीएम –सदस्य ;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/1/2013-एडी II बी]

एस. के. जैन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 18th August, 2020

G.S.R. 112.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise and Customs, Senior Private Secretary (Group 'B' Gazetted, Ministerial Posts) Recruitment Rules, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Private Secretary in the Commissionerates and Directorates under the Central Board of Indirect Taxes and Customs, Department of Revenue, Ministry of Finance, namely:-

1. Short title and Commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes and Customs, Senior Private Secretary, (Group 'B' Gazetted, Ministerial Posts) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, Classification, Level in the pay matrix.— The number of the post, its classification, level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3 Special provision.— (1) Each Commissionerates and Directorates shall have its own separate cadre unless otherwise specifically prescribed by the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) in this behalf. The Directorate General of Performance Management, Central Board of Indirect Taxes and Customs, Delhi shall be the Cadre Controlling Authority for the said post in respect of the following Directorates, as approved by the CBIC, namely:-

(i) Directorate General of Performance Management;

(ii) Directorate General of Revenue Intelligence;

(iii) Directorate General of Goods and Service Tax Intelligence;

(iv) Directorate of Logistics;

(v) Directorate General of Tax Payer Services;

(vi) Directorate General of Systems and Data Management;

(vii) Central Revenues Control Laboratory;

(viii) Directorate General of Vigilance;

(ix) Directorate General of Anti-Profiteering;

(x) Directorate General of Export Promotion;

(xi) Directorate General of Audit;

(xii) Directorate of Legal Affairs;

(xiii) Directorate General of Human Resource Development;

(xiv) Chief Commissioner (AR), Customs, Central Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT);

(xv) Directorate General of Analytics and Risk Management;

(xvi) Directorate General of Valuation;

(xvii) Directorate of International Customs;

(xviii) Directorate General of Goods and Service Tax.

(2) Inter-se seniority of all merged Directorate posts in the grade of Group 'B' and 'C' shall be integrated as per the instructions and guidelines issued by the Central Government from time to time in this regard.

4. Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification.— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relaxes any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Senior Private Secretary	152* (2020) * (Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'B' Gazetted Ministerial	Level 8 in the pay matrix Rs. 47600 - 151100

Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees
(5)	(6)	(7)	(8)
Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption is to be made.
(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Promotion failing which by deputation.	**Promotion:** Private Secretary in level 7 in the pay matrix (Rs. 44900 - 142400) with two years regular service in the grade. **Note 1.-**Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers holding the post of Stenographer under the

		Central Government: (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre of department; or (ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level 7 in the pay matrix (Rs. 44900 - 142400) or equivalent in the parent cadre or department. **Note 1.-** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2.-** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or department of the Central Government ordinarily not exceed three years. **Note 3.-** The Maximum age limit for appointment by deputation shall 'not be exceeding 56 years' as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
1. Cadre Controlling Principal Chief Commissioner or Chief Commissioner or Principal Director General or Director General of Performance Management, DGPM - Chairman; 2. Principal Commissioner or Commissioner or Principal Additional Director General or Additional Director General, DGHRD - Member; 3. Additional or Joint Commissioner (Personnel & Vigilance) or Additional or Joint Director, DGPM - Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F.No. A-12018/1/2013-Ad.IIB]
S. K. JAIN, Under Secy.

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2020

सा.का.नि. 113.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय, केयरटेकर (कीटनाशी) भर्ती नियम, 2005 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि, एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय में अभिरक्षक(कीटनाशी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वनस्पति संरक्षण, संगरोध और संग्रह निदेशालय, अभिरक्षक (कीटनाशी) भर्ती नियम 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट की जाएंगी।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अभिरक्षक (कीटनाशी)	01 (एक) *(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह “ख”, अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर-6 (35400-112400/- रूपये)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारी:- (क)(i) जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं अथवा (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300/- रूपये) अथवा समतुल्य में नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में नियमित आधार पर छह वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक की डिग्री और भवन के अनुरक्षण या बैठक इत्यादि करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव है। **टिप्पण 1**: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है

[मि. सं. 12018/13/2019-पीपी स्था.]

आर. राजीव, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)

New Delhi, the 7th August, 2020

G.S.R. 113.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage Caretaker (Insecticides) Recruitment Rules, 2005, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Caretaker (Insecticides) in the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare namely:-

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Caretaker (Insecticides) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.—** The number of the said post, its classification and level in the Pay Matrix relating thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—** The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving**.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for for direct recruitments
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Caretaker (Insecticides)	1* (2020) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial	Level 6 (Rs. 35400 – 112400)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualification for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation Officers of the Central Government or State Government or Union Territory Administration:- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department ; or (ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix or equivalent, in the parent cadre or Department; and (b) possessing Bachelor's degree from a recognised University or institute and having at least one year experience of maintenance of building or making necessary arrangement for holding meetings.	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment shall be not exceeding fifty- six years as on the closing date of the receipt of application.		

[F.No. 12018/13/2019-PP Estt.]

R. RAJEEV, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM